यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** के माह 10/2017 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री भारत सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री नन्दन सिंह भण्डारी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16/11/2018 से 29/11/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग</u>-।

(ii) **परिचयात्मकः** इकाई की पूर्व लेखा परीक्षा सर्व अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सिन्हा,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,एवं श्री सतवीर सिंह लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 7/10/2017 से 24/10/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया। उक्त लेखा परीक्षा मेंमाह 08/2016 से माह 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गई थी

(iii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** के अंतर्गत सहसपुर विधान सभा क्षेत्र,रायपुर विधानसभा क्षेत्र एवं धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य

(iv) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना (` लाख में)	गैर स्थापना (` लाख में)	आवंटन (` लाख में)	व्यय (` लाख में)	आवंटन (` लाख में)	व्यय (` लाख में)
2016-17		-				4233.515	4233.245
2017-18						5799.56	5560.83
2018-19						2958.826	2510.116

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16		शून्य			
2016-17					
2017-18(10/2017)					

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

2.क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1,लोक निर्माण विभाग,देहरादून

3.अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत लोक निर्माण विभाग, देहरादून

4. **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून**

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/18 को विस्तृत जांच हेतु एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 982/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में बंजारावाला टी०एच० डी०सी० विस्थापित के आंतरिक मार्गों का डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(viii) अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में इकाई का निरीक्षण नहीं किया गया।

(ix) खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2018 तथा 09/2016 तक की गई।

(x) फार्म 51: माह 09/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम Rs -197318.00

भाग द्वितीय Rs 10345531.00

(xi) खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2018 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	` 13.61 लाख
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 104018825.00
(ङ)	भण्डार	` - 1414419.00

भाग दो ब

प्रस्तर 1 - अनियमित रूप से ` 53030 की रॉयल्टी में छूट दिया जाना एवं रॉयल्टी की धनराशि `1346236.00 की वसूली न किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 1578/VII-1/158-ख/04/टीसी-II दिनांक 30/09/2016 दिनांक द्वारा उत्तराखंड खनिज नियमवाली 2005 में खनिज की विधिपूर्वक परिवहन के लिए प्रपत्र -J को अनिवार्य किया गया है खनिज के अभिवहन हेतु अभिवहनकर्ता/ठेकेदार के पास प्रपत्र -J अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून के वाउचरो की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि देयक 71 दिनांक 16/3/2018 के अनुसार निर्माण कार्य लवली मार्केट देहरादून में संपादित होना दर्शाया जा रहा था किन्तु उक्त देयक के साथ संलग्न प्रपत्र-J देहरादून के स्थान पर जिला हरिद्वार के लगाए गए थे। एवं उनके आधार पर ही खंड द्वारा ठेकेदार को ` 53030/- की रॉयल्टी में छूट प्रदान की गई थी

नमूना जांच के दौरान यह भी पाया गया कि विभिन्न देयकों में ` 1346236.00 के रॉयल्टी की धनराशि की गणना तो की गई थी किन्तु उनसे न तो उक्त धनराशि काटी गई थी न ही उनकी छूट से संबन्धित प्रपत्र देयक के साथ संलग्न थे (विवरण संलग्न है)

3.देयक संख्या 333 दिनांक 27/3/2018 (V चालू देयक) में कंक्रीट से संबन्धित कार्य किए गए थे एवं रॉयल्टी कि धनराशि ` 87712.00 कि गणना कि गई थी। उक्त कार्य के अगले देयक 343 दिनांक 28/03/2018 के द्वारा भी ठेकेदार को कंक्रीट के कार्य संपादित किये जाने पर ` 349482.00 का भुगतान किया गया था किन्तु देयक में रॉयल्टी कि धनराशि पूर्व देयक अनुसार ही दर्शाई गई थी।किन्तु काटी नहीं थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा ` 53,030 की रॉयल्टी में छूट के संदर्भ में अवगत कराया गया कि उठाई गई आपतियों की समुचित जांच कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा एवं शेष रॉयल्टी के संबंध में खण्ड द्वारा सूचित किया जाता है कि ठेकेदारों के आगामी देयकों से रॉयल्टी की धनराशि वसूल ली जाएगी।

खंड द्वारा दिये गए उत्तर से लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है अतः अनियमित रूप से ` 53030 की रॉयल्टी में छूट दिये जाने एवं रॉयल्टी की धनराशि ` 1346236.00 की वसूली न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 2- अधोमानक कार्य निष्पादन ।

माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 982/2014 के अंतर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र धरमपुर में बंजारावाला टीएचडीसी विस्थापित के आंतरिक मार्गो के डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य (14.100 किमी) हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा ` 653.30 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति अपने पत्रांक संख्या 8594/III(2)/16-16 (मुख्य मंत्री घोषणा)/2015 दिनांक 24/02/2016 के द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर-1 क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 2462/9(242)याता.-स्तर-(क्षे.का)./2016 दिनांक 08/11/2016 द्वारा ` 653.30 लाख की तकनीकी स्वीकृति विशेष प्रतिबंधों के साथ प्रदान की गई थी

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खंड लोक निर्माण खंड देहरादून, के लेखा अभिलेखो की जांच के दौरान पाया गया कि सम्पादित किए जा रहे कार्य में पूर्व में 5 किमी में पीसी/सीलकोट द्वारा मार्ग निर्माण एवं पानी की निकासी के लिए ` 25071578.00 से ड्रेन का निर्माण किया जाना था ताकि पानी से सड़क सुरक्षित रहे किन्तु बाद में उक्त कार्य को हटा कर मार्ग का निर्माण बीएम/एसडीबीसी द्वारा कराया गया था एवं उक्त कार्य में नाली निर्माण को हटा लिया गया था लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर अवगत कराया गया कि शासन से संशोधित शासनादेश 2907/II(2)/16-16(मु. म.घो.)2015 दिनांक 25/10/2016 निर्गत हुआ उसी क्रम में विस्तृत आगणन की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त हुई संशोधित शासनादेश के अनुरूप PC के स्थान पर बीएम/एसडीबीसी का प्रविधान किया गया था तदनुसार ही कार्य करवाए गए एवं नालियों के निर्माण हेतु प्रथक स्वीकृति जारी की गई, मा. विधायक एवं केबिनेट मंत्री जी के पत्रांक के क्रम में संशोधित आगणन में मात्र सड़कों का निर्माण प्रस्तावित किया गया।

खंड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्रारम्भिक आगणन में सड़क निर्माण के साथ ही मार्ग की सुरक्षा एवं लंबी आयु हेतु नाली निर्माण का प्रविधान किया गया था किन्तु खंड द्वारा ऐसा न करते हुये मार्ग निर्माण तो महंगी निर्माण सामग्री से कराया किन्तु उक्त के क्रम में नालियों के निर्माण को आगणन से हटा दिया गया था जबकि सड़कों की लंबी आयु के लिए पानी निकासी हेतु नालियों का निर्माण आवश्यक था एवं नालियों हेतु पृथक से स्वीकृति से संबन्धित कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था

अधोमानक कार्य निष्पादन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 3 - रुपए 9240897.00 का दायित्व सृजन किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका वॉल्यूम- 06 के पैराग्राफ 580 के अनुसार निर्माण कार्यों हेतु ग्राहक विभाग से प्राप्त निक्षेप धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जाना चाहिए एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका वॉल्यूम- 06 के पैराग्राफ 658 के अनुसार ग्राहक विभाग के सक्षम अधिकारी के प्राधिकार के बिना किए जाने वाले कार्य के आगणन से इतर कार्य नहीं किया जाना चाहिए। व्यय की गई अधिक राशि को विविध अग्रिम पंजिका में वसूली हेतु दर्ज किया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियंता निर्माण खंड,लोक निर्माण विभाग देहरादून के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि खंड द्वारा निक्षेप निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि से ` 9.24 लाख अधिक व्यय किया गया था, विवरण संलग्न है।

लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि ऋणात्मक दर्शाई गई धनराशि में से अधिकांश कार्य राज्य संपति विभाग उत्तराखण्ड से संबन्धित है जिसमे अवशेष धनराशि उनके द्वारा उपलब्ध होने पर राज्य संपति विभाग के ऋणात्मक धनराशि का समायोजन हो जाएगा। इस संबंध में शासन को अवशेष धनराशि हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

खंड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त धनराशि विगत 03 से 06 वर्ष अवधि पुरानी है एवं खंड को वित्तीय नियमानुसार प्राप्त धनराशि से अधिक धनराशि निक्षेप कार्यों पर व्यय नहीं कि जानी चाहिए थी

वित्तीय नियमो का उल्लंघ्न करते हुये खंड के द्वारा ` 92.41 लाख का दायित्व सृजित किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम संख्या	माह	मद नाम	धनराशि
1	3/13	खेल एवं युवा कल्याण	-96467.00
2	12/13	वन विभाग के आवासीय भवन का निर्माण	-652522.00
3	3/14	आबकारी आयुक्त के यहाँ सभा कक्ष का निर्माण	-314240.00
4	6/14	थाना कैंट में आवासीय भवनो का निर्माण	-27460.00
5	7/14	पुलिस प्रशिक्षण हेतु IED का निर्माण	-38506.00
6	04/15	खेल एवं युवा कल्याण	-415265.00
7	04/15	निदेशालय में गार्ड रूम एवं गेराज का निर्माण	-76757.00
	2/11	राज्य संपति के विभिन्न कार्य	-1000000.00
	9/11	राज्य संपति	-635708
	11/12	राज्य संपति	-961513.00
	1/13	राज्य संपति	-198928.00
	10/13	राज्य संपति	-309357.00
	3/14	राज्य संपति	-517358.00
	11/13	राज्य संपति	-292341
	10/14	राज्य संपति	-1100404.00
	12/14	राज्य संपति	-396851.00
	12/14	राज्य संपति	-49411
	3/15	राज्य संपति	-762131.00
	3/15	राज्य संपति	-912596.00
	3/15	राज्य संपति	-396877
	3/15	राज्य संपति	--658089
	6/15	राज्य संपति	-969273.00
	9/15	राज्य संपति	224979.00
			-9240897

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1	126/2003-04	-	3,4
2	47/2005-06	1,2	1
3	40/2006-07	3,4	-
4	29/2007-08	1,2,3,4	-
5	59/2008-09	2	2
6	51/2009-10	1	-
7	79/10-11	2,3	1,2
8	85/11-12	-	-1,2
9	52/12-13	1,2,3	-
10	56/2013-14	2	-
11	22/2014-15	-	2,4
12	31/2015-16	-	1,2,3,4,5,6,7
13	60/2016-17	-	2,3
14	48/2017-18	-	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

मुख्य अभियन्ता की संस्तुति के उपरांत प्रेषित किया जाएगा।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री वाय.एन. रघुवंशी	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखा परीक्षा से 31/12/2017
2.	श्री राजेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता	1/1/2018 से वर्तमान तक

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

1.श्री डी एस राणा विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र-2